न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–153/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/153)

1. सुरजी पत्नी जगदीश जाति नाई, निवासी ग्राम करनोस, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
2. श्रीमती कमला पुत्री जगदीश पत्नी ज्ञानचंद, जाति नाई निवासी ग्राम करनोस, तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी कोठारी मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
3. श्रीमती लीला पुत्री जगदीश पत्नी कैलाश, जाति नाई, निवासी ग्राम करनोस तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी प्रधानों का पोल वाला बास ग्राम रास, जिला पाली।
4. पिंकी पुत्री जगदीश पत्नी गौतम जाति नाई निवासी ग्राम करनोस, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी मैन बाजार, सेवरिया तहसील जैतारण, जिला पाली।

अपीलांटस

बनाम

1. सुरेश पुत्र जगदीश
2. धर्मीचंद पुत्र जगदीश
3. भैरूप्रसाद पुत्र हीरालाल (फौत) नाम तर्क
4. नरेन्द्र सैन पुत्र भैरूलाल
5. मनीष कुमार पुत्र भैरूलाल
   जाति नाई, निवासी ग्राम करनोस, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2021 राजस्व वाद संख्या 55/2021

उपस्थितः–

1. श्री, सुनील पारीक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, अजीत सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02, 4, 5,
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 06
4. रेस्पोडेंट संख्या, 01 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 55/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करनोस तहसील पीसांगन में स्थित खाता संख्या 250 हाल खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 1550/986, 985 की भूमि रकबा 0.78 है0 खतौनी जगदीश पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तेजा सेन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। खातेदार जगदीश पुत्र तेजा सैन की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण उसके वारिसान के नाम जरिए नामांतरकरण संख्या 140 दिनांक 27.9.2013 को पारित कर राजस्व रिकार्ड में सुरजी बेवा जगदीश, कमला, लीला,पिंकी पुत्रीयां जगदीश एवं सुरेश, धर्मीचंद पुत्रगण जगदीश सैन के नाम पारित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की गई। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा दावा दर्ज किया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 7.7.2021 नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 7.7.2021 को उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया एवं उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने दिनांक 7.7.2021 को ही प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार पीसांगन को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित कर पेशी दिनांक 13.7.2021 नियत की गई। तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 13.7.2021, 27.7.2021, 26.8.2021, 18.1.2022, 10.2.2022. 29.3.2022 एवं 16.5.2022 की पेशी बंटवारा प्रस्ताव हेतु नियत की गई। वादी एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने जगदीश के वारिसान की सम्पत्ति में उक्त भूमि अपीलांट संख्या 1 एवं अपीलांट संख्या 2 से 4 द्वारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में रिलीज डीड करा देंगे एवं वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अपनी माता अपीलांट संख्या 1 सुरजी देवी बेवा जगदीश के नाम उक्त भूमि रूपांतरित करवा कर 10 गुणा 20 की चार दुकानों का बैनामा कराएंगे जिससे अपीलांट सुरजी देवी का भरण पोषण होता रहेगा एवं इसी शर्त के आधार पर रिलीज डीड दिनांक 10.7.2020 को निष्पादित की गई। अपीलांटस एवं वादी/रेस्पोडेंट व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 के मध्य आपसी समझाईश से रिजीज निष्पादन बाद लिखा गया पारिवारिक सहमति व शर्तो की पालना में सुरजी देवी बेवा जगदीश के भरण पोषण हेतु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पर रूपांतरण करवा कर दुकानों की रजिस्ट्री अपीलांट सुरजी देवी के नाम नहीं कराई एवं उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने उपयोग में लेने लगे हैं तथा पारिवारिक सहमति की पालना नहीं की गई। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा दावा बाबत निरस्त करने रिलीज डीड दिनांक 10.7.2020 एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किए गए बेचान को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जो विचाराधीन है। वादी व प्रतिवादीगण ने मिथ्या रूप से प्रपंच करने के उददेश्य से रिलीज डीउ अपने नाम कराना एवं उसके आधार पर भूमि को आगे प्रतिवादी धर्मीचंद द्वारा रेस्पोडेंट प्रतिवादी नरेन्द्र व मनीष को अवैधानिक तौर से बेचान कर दिया गया जो अपीलांटस के हक अधिकार पर बातिल व बेअसर है। अपीलांटस द्वारा उक्त रिलीज डीड व बेचान पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही हेतु दावा सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है। वादी/रेस्पोडेंट एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा आपसी मिलीभगत करके वादग्रस्त आराजी का बंटवारा का वाद पेश कर अवैधानिक व मनगाने तौर पर आनन फानन में दिनांक 18.6.2021 को दावा पेश करते हुए दिनांक 7.7.2021 को वाद में प्राथमिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन से पारित करवा ली। तत्पश्चात उक्त वाद में फाईनल डिक्री पारित कराने हेतु बंटवारा प्रस्ताव के निर्देश उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा तहसीलदार पीसांगन को प्रदान कर दिए गए है। उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वादग्रस्त आराजी में अपीलांटस का हक, अधिकार निहित है। अपील अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 55/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या, 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 परं कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जगदीश पुत्र तेजा सेन की खातेदारी की थी प्रार्थीगण को विरासत से उक्त आराजी पर हक, स्वत्व, अधिकार उत्पन्न होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष वाद में प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2021 से प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है जिसके कारण उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ प्रार्थीगण धारा 96 सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मिंयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष दावा पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाकर निर्णय व डिक्री पारित करवा ली है। उपखण्ड अधिकारी, पीसागंन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2021 की प्रार्थीगण को कोई जानकारी पूर्व में नहीं रही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2021 की जानकारी तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में अग्रिम कार्यवाही हेतु अंतिम डिक्री के लिए बंटवारा प्रस्ताव बनाए जाने हेतु नोटिस कार्यवाही की तब जानकारी दिनांक 7.3.2022 के नोटिस पर गांव में चर्चा होने पर हुई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक कागजात एवं नकलें प्राप्त करवा कर अपील जानकारी से अंदर अवधि पेश की जा रही है। प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री की जानकारी तहसीलदार पीसांगन के द्वारा दिनांक 7.3.2022 के लिए जारी नोटिस पर गांव में चर्चा होने से दिनांक 10.3.2022 को होने पर हुई। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार पीसांगन के समक्ष उक्त आराजी का बंटवारा प्रस्ताव नहीं बनाने बाबत आपत्ति सिविल वाद न्यायालय में विचाराधीन होने बाबत पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा के समक्ष अपील पेश करने में जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया गया है। उक्त सदभाविक कारण से हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायहित में पक्षकारान के अधिकारों के विनिश्चय हेतु आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2021 इस आधार पर निरस्तनीय है कि वादग्रस्त आराजी जगदीश पुत्र तेजा सेन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही जिस पर अपीलांटस का खातेदारी अधिकार, स्वत्व व कब्जा अपीलांटस के पूर्वाधिकारी जगदीश की मृत्यु होने पर विरासत के जरिए नामांतरकरण संख्या 140 दिनांक 27.9.2013 को राजस्व रिकार्ड में अमल होकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने गलत व मनमाने तौर पर पारिवारिक समझाईश इकरा के आधार पर पालना नहीं करते हुए उक्त भूमि का अवैधानिक बेचान किया गया जो विधि विरूद्ध निरस्तनीय है। उक्त आराजी बाबत वादी एवं प्रतिवादी के नाम अंकन को अपीलांटस द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति दे रखी है। उक्त सिविल वाद में वादी एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट पक्षकार है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटस को खातेदार जगदीश पुत्र तेजा सेन की विरासत से प्राप्त होने के कारण उक्त आराजी पर अपीलांटस का स्वत्व, कब्जा, काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के समान हिस्से का है जिसके कारण वादग्रस्त आराजी बाबत पारित बंटवारे की प्राथमिक डिक्री से अपीलांटस व्यथित एवं पीडित पक्षकार होने के कारण न्यायालय में अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 7.7.2021 प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति अपील पेश करते हुए श्रीमान के समक्ष अपील पेश कर रही है। वादग्रस्त भूमि बाबत दावा पेश करके वादी/रेस्पोडेंटस एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटस को मुगालते में रखते हुए आनन फानन में दिनांक 18.6.2021 को दावा पेश कर अगली पेशी पर दिनांक 7.7.2021 को जवाबदावा पेश करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित फरमाई गई है। अपीलांटस को उक्त वाद में उपखण्ड अधिकारी,पीसांगन के समक्ष पक्षकार नहीं बनाए जाने से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.7.2021 की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं हो सकी। प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी मौके पर तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कुर्रेजात बंटवारा प्रस्ताव बनाने हेतु नोटिस कार्यवाही किए जाने पर अपीलांटस को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2021 की जानकारी हुई जिससे अपीलांटस द्वारा दिनांक 28.3.2022 को बंटवारा प्रस्ताव पारित नहीं किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार पीसांगन के समक्ष पेश किया गया। वादी सुरेश एवं प्रतिवादी धर्मीचंद ने आपस में मिलीभगत करते हुए अपीलांटस के पति एवं अपीलांट संख्या 2 से 4 के पिता की आराजी को हडपने की नियत से अपीलांटस के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि का फर्जी, कपटपूर्ण तरीके से अपीलांटस से धोखा करते हुए हक त्याग करवा कर भूमि अपने नाम दर्ज कराई जाकर उसको प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को अवैधानिक बेचान कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। उक्त अवैधानिक सम्पत्ति अंतरणों की अपीलांटस द्वारा सिविल न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अजमेर के समक्ष दीवानी वाद सुरजी देवी व अन्य बनाम सुरेश व अन्य वाद संख्या 69/2021 पेश कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार जगदीश पुत्र तेजा सेन जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में अंकित रहे है। खातेदार जगदीश की मृत्यु उपरांत विरासत जो नामांतरकरण संख्या 140 दिनांक 27.9.2013 को जगदीश पुत्र तेजा सेन के वारिसान सुरजी बेवा जगदीश धर्मीचंद, सुरेश पुत्रगण एवं कमला, लीला, पिंकी पुत्रीयां जगदीश कौम नाई के नाम स्वीकृत किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझाईश इकरारनामा दिनांक 10.7.2020 के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट संख्या 1 सुरजी के पक्ष में भूमि रूपांतरण करवा कर दुकानें निर्मित नही कराई गई एवं अवैधानिक व मनमाने तौर पर कपटपूर्ण आचरण करते हुए उक्त भूमि की रिलीज डीड करते हुए आगे बेचान पत्र प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के पक्ष में कराया गया जो अपीलांटस के हिस्से, स्वामित्व व कब्जे काश्त के लिए शून्यकरणीय, अवैधानिक एवं बेअसर है। वादी एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा निष्पादित दस्तावेज दिनांक 10.7.2020 व 27.4.2021 से अपीलांटस के हक व अधिकारों पर असर होने के कारण उक्त दोनों दस्तावेज निरस्त कराने की कार्यवाही अपीलांटस द्वारा पृथक से की गई है। चूंकि प्रश्नगत निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पीसांगन द्वारा बंटवारा प्रस्ताव बनाए जाने की कर्यवाही कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की जा रही है जिसके लिए अपीलांटस द्वारा अपील विरूद्ध प्राथमिक डिक्री श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 55/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाष अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं–आर. बी.जे 2020 पेज 569 एस0सी0, आर.बी.जे 2021 पेज 372 एस0सी0, आर.बी.जे 2019 पेज 101 एस0सी0, आर.बी.जे 2020 पेज 666 एस0सी0, आर0आर0डी 1983 पेज 676.

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादीगण/वादीगण संख्या 1 व 2 की एक आराजी वाकै ग्राम करनोस तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विवरण पत्रावली में वर्णित है। आराजी पर प्रतिवादीगण/वादीगण ने वादीगण को बहुत बार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत विधिक बंटवारा करने के लिए निवेदन यिका गया लेकिन वादीगण ने हर बार मना कर दिया जबकि मौके पर हक व हिस्से अनुसार बंटवारा मय काबिज काश्त के है। वादीगण ने बदनियती पूर्ण प्रतिवादीगण/वादीगण को हैरान व परेशान के लिए अपने हक व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हिस्से की जमीन बिना विधिक बंटवारा के वादीगण को दिनांक 27.4.2021 को बेचान कर दी जिससे वादीगण ने दिनांक 15.6.2021 को अपनी खरीदशुदा भूमि से ज्यादा प्रतिवादीगण/वादीगण की भूमि पर भी कब्जा करने के लिए जुताई कर दी। वाद का कारण दिनांक 15.6.2021 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से की आराजी का बेचान वादीगण को करने पर एवं तत्पश्चात वादीगण ने बिना विधिक बंटवारे के बिना नाप चोप के प्रतिवादीगण/वादीगण के हक व हिस्से की जमीन पर भी जुताई कर कब्जा काश्त करने के असफल प्रयास किया जब कि वादीगण को केवल अपनी खरीदशुदा हक व हिस्से तक ही जुताई का अधिकार था लेकिन उन्होंने वादीगण के साथ मिलकर बदनीयती पूर्ण प्रतिवादीगण/वादीगण के हक व हिस्से की भूमि पर भी जुताई कर दी जो अविधिक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण/वादीगण के हिस्से की भूमि पर भी जुताई कर कब्जा करने के उदेश्य में सफल हो गए तो प्रतिवादीगण/वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मुद्रा में मुल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए उपरोक्त भूमि का नामांतरकरण से पूर्व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवारा किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन को लैण्ड होल्डर होने से प्रतिवादी बनाया गया है। जिसे वाद प्रस्तुती से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की छुट हेतु पृथक से प्राथन्रा पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात भूमि ग्राम करनोस तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित होने के कारण न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। कृषि भूमि वाकै ग्राम करनोस स्थित आराजी में प्रतिवादीगण/वादीगण के हक व हिस्से की आराजी पर वादीगण कब्जा काश्त नहीं करे प्रतिवादीगण/वादीगण को बेदखल नहीं करे व उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर प्रतिवादीगण/वादीगण के उसके हक व हिस्से की भूमि को मौके पर काबिज काश्त अनुसार राजस्व नक्शे में इंद्राज कर खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निरतारण करना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 सुरेश पुत्र जगदीश रेस्पोडेंट संख्या 02 धर्मीचंद पुत्र जगदीश के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 10.7.2020 को निष्पादित किया गया तथा उक्त इकरारनामे बाबत अपीलांट द्वारा संबंधित सिविल न्यायालय के संमक्ष अपने हक एवं अधिकारों के लिए एक दिवानी वाद प्रस्तुत कर रखा है जो कि वर्तमान में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत पक्षकारों के मध्य बंटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया है तथा अपीलांट द्वारा उक्त इकरारनामें दिनांक 10.7.2020 को निरस्त/शून्यकरणीय करने हेतु सिविल न्यायालय के समक्ष वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रस्तुत कर रखा है तथा उक्त इकरारनामे को निरस्त/शून्यकरणीय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त इकरारनामें की वैधता को विनिश्चय नहीं किया जाता है तबतक अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात बाबत पक्षकार बनाकर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं है प्रश्नगत आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा उक्त इकरारनामे बाबत अपने हक एवं अधिकारों के लिए दिवानी वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा जब तक अपीलांट के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता तब तक अपीलांट को उक्त दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालयों में चाराजोही करने का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। तथा अपीलांट अपने उक्त प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 के माध्यम से हाजा न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट करने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.7.2021 निर्णय व डिक्री का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेंगा तथा प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा सह सिद्ध नही किया गया है कि वे किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से विधिक रूप से व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा अंतर्गत 96 जा0दी0 खारिज योग्य होने के कारण उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 55/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2021 को यथावत रखा जाता है। उक्त निर्णय माननीय सिविल न्यायालय में विचारधीन प्रकरण के अध्याधीन रहेगा।'पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर